भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार
जनपथ, नई दिल्ली- 110001
www.nationalarchives.nic.in
ई-मेल : archives@nic.in

दिनांक : 19 अप्रैल 2018

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना

2018-2019

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय और व्यक्तियों से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायतार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :

क. उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, ऐतिहासिक अभिलेख चार्टों व मानचित्रों के वैज्ञानिक परिरक्षण/ संरक्षण/मरम्मत/रेस्टोरेशन, माइक्रोफिल्मिंग, सूचीकरण, कैटेलॉगिंग, मूल्यांकन, अनुवाद, प्रकाशन/पुनर्मुदण तथा दुर्लभ पुस्तकें खरीदने के लिए

ख. अभिलेख छायाचित्रों तथा मुद्रणों (ओलियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए

ग. पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए अपेक्षित मदों जैसे वातानुकूलन, वैक्यूम क्लीनर्स, फयुमीगेशन चैम्बर्स एवं उपचार हेतु रसायन खरीद के लिए

घ. पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख का डिजीटाइजेशन, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुद्रण (डिजिटाइजेशन जॉब वर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात् कैमरा, स्कैनर, कम्प्यूटर, प्रिंटर कॉपियर की खरीद हेतु समर्थन सहित) इत्यादि।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 10/-लाख रुपये है जो प्रति वर्ष परियोजना की कुल लागत के 75:25 के अनुपात में होगी (अर्थात् केंद्रीय सरकार का 75 प्रतिशत शेयर और अनुदानग्राही की 25 प्रतिशत मैचिंग शेयर) निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय संवीक्षा स्क्रीनिंग समिति (संबंधित राज्य अभिलेखागार के निदेशक से इस विषय हेतु संपर्क करें)/राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए आवेदन को अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञान के प्रकाशन के **60 दिनों** के अंदर अवश्य भेज दिए जाएं।

योजना की वित्तीय सहायता का पूरा विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रपत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in सब हैड Grants-in-aid on home page पर से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते पर लिखकर या स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु

आवेदनपत्र

1. संस्थान/संगठन/व्यक्ति इत्यादि का नाम तथा पूरा पता दूरभाष/फैक्स संख्या, ई-मेल आईडी, तथा विशिष्ट आईडी संख्या :

2. इंडियन सोसायटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत सोसायटी अथवा ट्रस्ट की स्थापना/ पंजीकरण की तिथि पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित प्रबंधन बोर्ड का विवरण :

3. दर्पण आईडी संख्या* (गैर-सरकारी संगठनों के लिए) :

4. स्वैच्छिक संगठनों, व्यक्तियों के पास उनकी अभिरक्षा में रखी पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख संपत्तियों की एवं प्रकृति संख्या, जिस पर विशेषरूप से वर्ष/अवधि, विषय भाषा सहित शीर्षक और लेखक का नाम :

5. पिछले तीन वर्षों का प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण एवं पिछले साल की बैलेंस शीट तथा अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट :

6. पिछले तीन वर्षों केंद्रीय/राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण यदि आवेदक को इस योजना के अंतर्गत पहले वित्तीय सहायता मिल चुकी है तो संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र संलग्न करें। :

7. परियोजना का ब्यौरा जिसके लिए सहायता अपेक्षित है तथा विशेषज्ञों का विवरण ब्यौरा यदि कोई नियुक्त करना हो तो :

8. परियोजना का अनुमानित खर्च, वित्तीय सहायता के लिए मदवार ब्यौरे सहित :

9. वह स्रोत जहां से परियोजना के 25 प्रतिशत खर्च को प्राप्त किया जाएगा। :

10. परियोजना के लिए यदि किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता अपेक्षित है। :

11. राज्य स्तर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति आवेदन के साथ संलग्न की जाए। :

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

कार्यालय मुहर :

ई-मेल :

*गैर-सरकारी संगठन स्वयं को https://ngodarpan.gov.in पर पंजीकृत करें और दर्पण आईडी प्राप्त करें।

टिप्पणी : अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।